# <u>न्यायालयः</u>— साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी <u>जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण क.—438 / 11</u> संस्थापित दिनांक—21.09.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :-आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। ....अभियोजन विरुद्ध 1- धर्मेन्द्र पुत्र गोकुल उम्र 30 साल 2- परमलाल उर्फ परमा पुत्र हीरालाल उम्र 42 साल 3- शिशुपाल पुत्र हरिचरण उम्र 29 साल 4- घनश्याम पुत्र हन्ना अहिरवार उम्र 60 साल 5- तुलसीराम पुत्र हन्ना अहिरवार उम्र 35 साल निवासीगण- ग्राम सकवारा तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0 .....आरोपीगण :- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.। राज्य द्वारा :- श्री के.एन.भार्गव अधिवक्ता। आरोपीगण द्वारा

# —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 17.02.2017 को घोषित)</u>

01— आरोपीगण के विरूद्ध भा०द०वि० की धारा 294, 324(3—बार), 324/34 (3—बार), 323(3—बार), 323/34(3—बार), 341, 506 भाग दो के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 04.05.2011 को सुबह 8 बजे ग्राम सकबारा थाना चंदेरी स्थित स्कूल के पास में लोक स्थल पर मां—बहन की गालियां देकर अश्लील शब्द उच्चारित किये, जिससे परिवादी तथा अन्य को क्षोभ कारित किया एवं परिवादी/आहत देशराज, शोभाराम व राजू को फर्सा/कुल्हाडी जो कि एक काटने का उपकरण है, से स्वेच्छया उपहित कारित की एवं अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत को उपहित कारित करने का सामन्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत देशराज, शोभाराम, राजू को फर्सा/कुल्हाडी जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहित कारित की तथा परिवादी/आहत हीराबाई, फूलकुंवर व श्रीपत को स्वेच्छया उपहित कारित की तथा परिवादी/आहत को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत हीराबाई, फूलकुंवर व श्रीपत को स्वेच्छया उपहित कारित की तथा परिवादी/आहत को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत हीराबाई, फूलकुंवर व श्रीपत को स्वेच्छया उपहित कारित की, परिवादी का रास्ता रोककर सदोष अवरोध किया तथा जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

### //2//दाण्डिक प्रकरण कमांक-438/11

- 02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 17.02.2017 फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य राजीनामा हो जाने से अभियुक्तगण को भा.द.वि की धारा 294, 323(3—बार), 323/34(3—बार), 341, 506 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी देशराज ने अपने परिवार के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 04.05.2011 को दोपहर में हवा चली थी उसका लड़का राजपाल हवा मे गिरे चार पांच आम नीचे से उठा लाया था। इसी बात को लेकर वह और पिता श्रीपत, अम्मा हीराबाई, भाई शोभाराम, भतीजा राजू, भाभी फूलबाई अपने गाँव खैरा में से ईटे बनाकर सकवारा स्कूल के पास रास्ता से निकल कर अपने घर पर नास्ता करने जा रहे थे कि घनश्याम हाथ में फर्सा, तुलसीराम कुल्हाडी, धर्मेन्द्र, शिशुपाल कुल्हाडी लिये रास्ता में बैठे हुये थे, जब वे लोग को देखकर चारो उन्हें मां बहन की बुरी बुरी गालियां देने लगे व गाली देकर बोले की तुम्हारा लड़का राजपाल हमारे आम बिना बताए क्यों ले गया। फरियादी ने गालियां देने से मना किया और कहा कि राजपाल बच्चा है उसे मैं समझा दूंगा अब तुम्हारे आम के यहां नहीं जायेगा। तभी चारो लोगो ने उनका रास्ता जाने का रोककर खड़े हो गये व चारो लोग आपस में गंदी गंदी गाली देकर बोले लगाओ और चारो लोग उन सब लोगो की मारपीट करने चैंट गये।
- 04— घनश्याम ने फर्सा मारा जो उसके बांये हाथ के दडा में चोट आकर खून निकल आया तभी तुलसीराम ने कुल्हाडी का बेहठा उसकी दांहिने हाथ के दडा में मारा मुंदी चोट आई तथा धर्मेन्द्र ने उसे बांये पैर की जांघ मे लठ मारा मूंदी चोट आई तथा शिशुपाल ने उसके साथ धक्का मुक्की की। उसके परिवार के लोगो पिता श्रीपत, अम्मा हीराबाई, भाई शोभाराम, भतीजा राजू, भाभी फूलबाई ने झगडा करने से मना किया तो चारो लोगो ने इन सभी लोगो के साथ मारपीट की। मारपीट के कारण सभी के शरीर में जगह—जगह चोटे आई है। झगडे के बाद वे सब लोग रिपोर्ट करने आने लगे तो परमा हरिजन ने कहा कि आज तो बच गये आइन्दा जान से खत्म कर देगे। परमा बाद मे लट्ठ लेकर आ गया था। मौके पर कुंवरलाल, दुलीचन्द्र थे जिन्होने घटना देखी है। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 05— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

## 06- राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 04.05.2011 को सुबह 8 बजे ग्राम सकबारा थाना चंदेरी स्थित स्कूल के पास में लोक स्थल पर परिवादी/आहत देशराज, शोभाराम व राजू को फर्सा/कुल्हाडी जो कि एक काटने का उपकरण है, से स्वेच्छया उपहति कारित की?

#### विकल्प

क्या उक्त घटना दिनांक समय स्थान पर अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत को उपहित कारित करने का सामन्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत देशराज, शोभाराम, राजू को फर्सा/कुल्हाडी जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहत कारित की ?

## <u>ः : सकारण निष्कर्षः :</u> :

- 07— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में फरियादी देशराज अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। घटना करीब 5—6 साल पहले की है। घटना दिनांक को उसका लडका राजपाल हवा में गिरे हुए 4—5 आम नीचे से उठा लाया था और उसी दिन उसके मेरे पिता श्रीपत मां हीराबाई भाई शोभाराम एवं भतीजा राजू, भाभी फूलबाई सकबारा स्कूल के पास से निकल रहे थे तो रास्ते में उन्हे धर्मेन्द्र, परमलाल, शिशुपाल, घनश्याम, तुलसीराम मिले और उनके साथ गाली गलौच करने लगे कि उनका बेटा राजपाल हमारे आम से अमियां क्यों ले आया तो इसी बात को लेकर आरोपीगण से उनसे कहा सुनी और धक्का मुक्की हो गई थी जिससे मुझे व शोभाराम, राजू, हीराबाई, फूलबाई, श्रीपत को चोटे आ गई थी, इसके आलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। उक्त घटना के संबंध में उसके द्वारा थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेख कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी और पुलिस ने मेरी व शोभाराम, हीराबाई, राजू, फूलकुंअरबाई, श्रीपत का मेडिकल कराया था और पुलिस ने पूछताछ कर बयान लिये थे।
- 08— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि घनश्याम हाथ में फर्सा, तुलसीराम कुल्हाडी, धर्मेन्द्र लाठी, शिशुपाल कुल्हाडी लिये रास्ते में बैठे हुए थे। इस बात से इंकार किया कि उक्त चारो लोग उनहें मां बहन की गालियां देने लगे। इस बात से इंकार किया कि चारो लोगो ने उनका रास्ता जाने का रोककर खडे हो गये। इस बात से इंकार किया कि चारो लोग उन लोगो की मारपीट करने लगे। इस बात से इंकार किया कि घनश्याम ने फर्सा मारा जो उसके बांये हाथ के दडा में चोट होकर खून निकल आया। इस बात से इंकार किया कि तुलसीराम ने कुल्हाडी का बैंटा उसके दांहिने हाथ के दडा में मारा मुंदी चोट आई।

### //4//दाण्डिक प्रकरण कमांक-438/11

- 09— देशराज अ0सा01 ने इस बात से इंकार किया कि धर्मेन्द्र बसोड ने उसके बांये पैर की जांघ में लट्ठ मारा मुंदी चोट आई। इस बात से इंकार किया कि शिशुपाल ने उसके साथ धक्का मुक्की की। इस बात से इंकार किया कि उसके साथ के लोगो श्रीपत, हीराबाई, शोभाराम, राजू, फूलबाई ने झगडा करने से मना किया तो चारो लोगो ने उन सभी लोगो के साथ मारपीट की जिससे सभी को जगह जगह चोटे आई थी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 2 का ए से ए भाग पढकर सुनाये व समझाये जाने पर ऐसी रिपोर्ट व कथन पुलिस को देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर ली कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि आज उसका, शोभाराम, राजू, हीराबाई, फूलकुंअर, श्रीपत का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ।
- 10— आहतगण शोभाराम अ०सा2, राजू अ०सा03, हीराबाई अ०सा4, फूलकुंअर अ०सा05, श्रीपत अ०सा06 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि उनके साथ भी आरोपीगण की कहा सुनी हो गई थी और धक्का मुक्की में उन सभी लोगो को गिरने से चोट आ गई थी, जिसके संबंध में थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी शोभाराम, राजू, हीराबाई, फूलकुंअर, श्रीपत को पक्ष विरोधी घोषित कराकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है और स्पष्टतः इस बात से इंकार किया कि आरोपीगण द्वारा उसकी फर्सा, कुल्हाडी, लाठी से उनकी मारपीट की गई थी।अभियोजन के इस सुझाब से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण वे न्यायालय में असत्य कथन कर रहा हूँ।
- 11— साक्षी शोभाराम अ०सा2, राजू अ०सा03, हीराबाई अ०सा4, फूलकुंअर अ०सा05, श्रीपत अ०सा06 को उनका पुलिस कथन क्रमशः प्र.पी. 3 लगायत 7 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उक्त साक्षीगण ने पुलिस को उक्त कथन न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकते। इस प्रकार अभियोजन साक्षी शोभाराम अ०सा2, राजू अ०सा03, हीराबाई अ०सा4, फूलकुंअर अ०सा05, श्रीपत अ०सा06 के कथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी स्वयं फरियादी देशराज एवं आहतगण शोभाराम, राजू, हीराबाई, फूलकुंअर, श्रीपत ने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है बिल्क उन्हें जो चोटे आई है उक्त चोटे धक्का मुक्की में आना व्यक्त किया है।
- 12— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 04.05.2011 को सुबह 8 बजे ग्राम सकबारा थाना चंदेरी स्थित स्कूल के पास में लोक स्थल पर परिवादी/आहत देशराज, शोभाराम व राजू को फर्सा/कुल्हाडी जो कि एक काटने का उपकरण है, से स्वेच्छया उपहित कारित की एवं अभियुक्तगण के साथ परिवादी/आहत को उपहित कारित करने का सामन्य

## //5//दाण्डिक प्रकरण कमांक-438/11

आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में परिवादी/आहत देशराज, शोभाराम, राजू को फर्सा/कुल्हाडी जो कि एक काटने का उपकरण है से स्वेच्छया उपहत कारित की। अतः अभियुक्तगण धर्मेन्द्र, परमलाल, शिशुपाल, घनश्याम, तुलसीराम को भा.द.वि. की धारा 324(3—बार), 324/34 (3—बार) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 13— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 14- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।
- 15— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित,दिनांकित किया गया। मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0